मीरजापुर पुलिस

—प्रेस नोट—

दिनांकः19.12.2025

थाना चुनार पुलिस द्वारा घर में अवैध रूप से बूचड़खाना(स्लाटर हाउस) चलाने वाला अभियुक्त गिरफ्तार, मौके से 01 कुंतल 50 किग्रा मांस(भैंस/पड़वा), चापड़ व लकड़ी का गुटका बरामद —

‘सोमेन बर्मा’ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर द्वारा जनपद में अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों की धरपकड़ तथा अवैध कार्यों में संलिप्त अभियुक्तों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही एवं अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को निर्देश दिया गया है।

आज दिनांकः19.12.2025 को थाना चुनार पुलिस को जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि मोची टोला में एक व्यक्ति अपने घर के हाते में अवैध रूप से बूचड़खाना(स्लाटर हाउस) चला रहा है और भैंस/पड़वा लाकर काटकर बिक्री करने का काम कर रहा है। उक्त सूचना पर थाना चुनार पुलिस द्वारा सम्बन्धित विभागीय अधिकारी गण को अवगत कराते हुए दबिश देकर एक अभियुक्त आजम कुरैशी पुत्र स्व0आम्मामुल्ला निवासी मोची टोला(कसाई टोला) थाना चुनार जनपद मीरजापुर को गिरफ्तार किया गया तथा मौके से 01 कुंतल 50 किग्रा भैंस/पड़वा का मांस, 01 चापड़ व 01 लकड़ी का गुटका बरामद किया गया। पशु चिकित्साधिकारी मय टीम द्वारा मौके पर पहुंचकर सैम्पल लिया गया है चूंकि मोहल्ला मिश्रित आबादी का क्षेत्र है जहां पर अभियुक्त का यह कृत्य स्थानीय लोगों में रोष एवं छोभ व्याप्त होने की स्थिति में शांति व्यवस्था के सम्बन्ध में समस्या उत्पन्न होने तथा संक्रमण फैलने से गंभीर बीमारी होने की प्रबल सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता। उक्त घटना के सम्बन्ध में थाना चुनार पर मु0अ0सं0-596/2025 धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम, 271,272,325 बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट पंजीकृत कर गिरफ्तार अभियुक्त को मा0न्यायालय/जेल भेजा गया।

नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त—

आजम कुरैशी पुत्र स्व0आम्मामुल्ला निवासी मोची टोला(कसाई टोला) थाना चुनार जनपद मीरजापुर, उम्र करीब-50 वर्ष।

विवरण बरामदगी —

01 कुंतल 50 किग्रा भैंस/पड़वा का मांस।

01 चापड़ व 01 लकड़ी का गुटका।

पंजीकृत अभियोग —

मु0अ0सं0-596/2025 धारा 11 पशु क्रूरता अधिनियम, 271,272,325 बीएनएस व 7 सीएलए एक्ट थाना चुनार, मीरजापुर

गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —

उप-निरीक्षक अखिलेश कुमार यादव, थाना चुनार मीरजापुर।

मुख्य आरक्षी संतोष कुमार भारद्वाज, धनराज यादव व राजकुमार।

****

उत्तर प्रदेश पुलिस